XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील–1453–एक/17 **जिला** – दतिया

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05.12.2017	प्रकरण का अवलोकन किया। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अपर आयुक्त के आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के अभिभाषक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण दिनांक 10.03.2015 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया। इसके पुनर्स्थापन हेतु आवेदन दिये जाने पर अपर आयुक्त ने पुनर्स्थापन हेतु आवेदन इस आधार पर निरस्त किया है कि अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में उसके द्वारा विलंब का जो आधार दिया गया है, उसके समर्थन में कोई साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस न्यायालय के समक्ष भी आवेदक द्वारा ऐसा कोई समाधानकारक कारण नहीं बताया गया है जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप आवश्यक हो। दर्शित परिस्थिति में यह अपील ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	

(2)

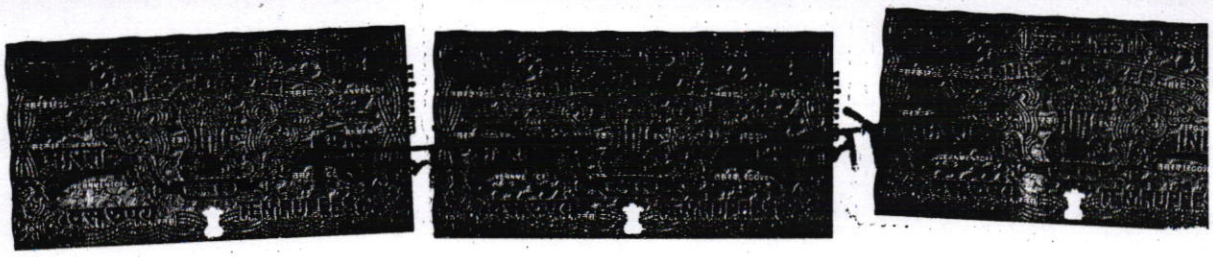

न्यायालय माननीय राजस्व मंण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ./2017 अपील A-1453-I-17

श्री त्रिरवन सिंह धाकड़ एड.
द्वारा आज दि. 23/05/17 को
प्रस्तुत
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

हुकुमसिंह पुत्र कल्लू यादव , निवासी–ग्राम कटीली, तहसील व जिला दतिया म.प्र. .... अपीलार्थी

बनाम्

म.प्र.शासन ....प्रतिअपीलार्थी

<u>अपील आवेदन पत्र अर्तगत धारा 35 (4) म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क. 09/16–17 विविध में पारित आदेश दिनांक 22.03.17 के विरूद्ध जानकारी दिनांक से अंदर अवधि प्रस्तुत्।</u>

22/05/17

माननीय न्यायालय,

अपीलार्थी की ओर से अपील आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई थी। उक्त अपील प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा पैरवी करने हेतु श्रीमती उमा कुशवाह अभिभाषक को नियुक्त किया गया था। किन्तु श्रीमती उमा कुशवाह अभिभाषक द्वारा प्रकरण में उपस्थित होना बिना किसी कारण के बंद कर दिया गया जिसकी प्रार्थी को कोई सूचना नहीं दी गई प्रार्थी निश्चिंत था, कि उसके प्रकरण में पैरवी उसके नियुक्त अभिभाषक कर रहे हैं। प्रार्थी द्वारा कई बार अभिभाषक महोदय से